कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः 90A/JDA/2025-26/100568 दिनांकः 13/04/2026

लोक सूचना

श्री **MS THREE X DEVELOPERS JARIYE PARTNER MAHENDRA SINGH RATHORE** पुत्र श्री **CHHITAR SINGH RATHORE** जाति **RAJPUT** निवासी **208 A.K. GOPALAN NAGAR LAL MANDIR WALI GALI KHATIPURA JHOTWARA JAIPUR**
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	1.) 3X DEVELOPERS हिस्सा पूर्ण जाति (NA) कार्यालय ई 172 ए उत्तम टॉवर फर्स्ट फ्लोर रमेश मार्ग सी स्कीम जयपुर खातेदार	2701/2690	0.2389	0.2389
				कुल	**0.2389**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-04-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & RASHTRADOOT

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Digitally Signed by RAVINDRA KUMAR SHARMA
Designation : DC/ AO
Date: 2026.04.13 15:52:04 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN